

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -
तहसील ऊखीमठ, जिला-रुद्रप्रयाग
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन

परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.680 हे० वन भूमि) का रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सान्दर द्वारा दिनांक 13/03/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी । यह कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि से आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम और ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

